म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/ 994 भोपाल, दिनांक 31/03/2022

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख,
मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd)
11th फ्लोर, 1103/1104, अशोका एस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड ,
नई दिल्ली।

स्थानीय पता - प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड,
जोन-1, एमपी नगर, भोपाल।

विषयः-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः- 1. ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 1224 दिनांक 13.05.2021 ।

2. मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्रा. लि. का आवेदन दिनांक 08.03.2022।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-45-16-चौदह-3 दिनांक 06 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचिना दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के तहत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) के साथ पठित धारा 32-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 लागू किया गया है।

नियम, 2016 की शर्त क्रमांक 5 के तहत, संदर्भित कार्यालयीन आदेश दिनांक 13.05.2021 से मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लि. (Star Agribazaar Technology Ltd) को राज्य में प्रांगण में परिचालन करने हेतु ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति नियम, 2016 में विहित शर्तो के अधीन स्वीकृत की गई थी।

वर्तमान में उक्त ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु संदर्भित आवेदन दिनांक 08.03.2022 मय आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त हुआ है। जिसमे संलग्न दस्तावेजो मे संलग्न पंजीयन प्रमाण पत्र ROC दिनांक 19/04/2021 मे कंपनी का नाम मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लि. से परिवर्तित कर "मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd)" किया जाने का उल्लेख है।

मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd) के द्वारा सन्दर्भित आवेदन में ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु नियम-2016 के नियम (3) के अधीन निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत की है -

इंडसइंड बैंक	बीजी नं OGT0018210053014	रूपये 25 लाख	अवसान तिथि 18.03.2023
इंडसइंड बैंक	बीजी नं OGT0018220063785	रूपये 25 लाख	अवसान तिथि 06.03.2023

संबंधित आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फीस एवं निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति उपरांत ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 1224 दिनांक 13.05.2021 के अनुक्रम में ही नियम, 2016 की शर्त क्रमांक 5 के तहत नवीन परिवर्तित नाम मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नालाजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd) राज्य में प्रांगण में परिचालन करने हेतु ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति, नियम 2016 में विहित शर्तो के अधीन नवीकृत की जाती है।

अनुज्ञप्तिधारी को, नियम 2016 के प्रावधानों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूर्व नाम मेसर्स स्टार एग्रीबाज़ार टेक्नालाजी लि. (Star Agribazaar Technology Ltd) के अधीन किये गए किसी संव्यवहार के संबंध में आपका उत्तरदायित्व होगा। इस संबंध में एक शपथ पत्र भी 07 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें।

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नालाजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd) भोपाल के साथ प्रबंध संचालक द्वारा एक सेवा स्तरीय अनुबंध, नियम 6 के अधीन अधिसूचित मण्डियों के लिये ई-प्लेटफार्म तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराने के निबंधन तथा शर्ते विनिर्दिष्ट करते हुए किया जायेगा। जो ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा। अतः 07 दिवस की अवधि में अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही सम्पन्न करें।

संलग्नः-अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रारूप-ग-एक

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक, सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

mail

क्र/बी-6/नियमन/ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/995 भोपाल, दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि:-

(1) संयुक्त/उप संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नालाजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd) को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

(2) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.............................. जिला................................ म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्रीबाजार टेक्नालाजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd) को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।

(3) अपर संचालक (आईटी सेल), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने हेतु।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

प्रारूप-ग-एक

(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति

ई-प्लेटफार्म अनु. क्र 01 दिनांक 31/03/2022

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति एतद्द्वारा श्रीं/मेसर्स **स्टार एग्रीबाजार टेक्नालाजी प्रा. लि. (Star Agribazaar Technology Pvt Ltd)** (नाम) पता - **11th फ्लोर, 1103/1104, अशोका एस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली। स्थानीय पता - प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड, जोन-1, एमपी नगर, भोपाल (दूरभाष नंबर) 0755-4075531** को फीस रुपये **5000/- (रूपये पांच हजार)** के भुगतान पर, जो इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में परिचालन करने के लिए **31 मार्च 2023** (वर्ष) तक वैध, "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) तथा "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की जाती है, अर्थात्:-

(1) अनुज्ञप्तिधारी को उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा आबद्ध रहना होगा।

(2) यह अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय है।

(3) यह अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निलंबित या रद्द की जा सकेगी ।

(4) इस अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(5) अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश में प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार अंकित किये गए किसी भी प्रांगण में ई-प्लेटफार्म के रूप में व्यवसाय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियम-5 में विस्तरित समस्त शर्तों ओर निर्बंधनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा तदाधीन निर्मित नियमों और उपविधियों में दिए गए तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थानः भोपाल

दिनांकः

प्रबंध संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण:

अनुज्ञप्ति की दिनांकः

नवीनीकरण की कालावधिः